



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2013/माघ 15, 1934

No. 294]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2013/MAGHA 15, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2013

सं. 31 (आर.ई.-2012)/2009-2014

विषय: निर्यात प्रतिबंध/रोक लागू किए जाने से संसाधित और/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों को छूट ।

का.आ. 318(अ).—समय-समय पर यथाअधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संसाधित और/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के लिए किसी निर्यात प्रतिबंध/रोक पर तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान करती है :—

क्रम सं.	उत्पाद का नाम	टैरिफ मद एच एस कोड
1.	गेहूँ या मेसलिन का आटा	1101
2.	गेहूँ या मेसलिन के आटे को छोड़कर अनाज का आटा (मक्का, जई आदि)	1102
3.	अनाज का दलिया, आटे की गुटिका	1103
4.	शीर्ष सं. 1006 के चावल को छोड़कर अन्यथा वर्कड अनाज के दाने; अनाज के बीज, साबुत, वेल्लित, परतयुक्त या मूल	1104
5.	अन्य अनाज मर्दे	1901 से 1905
6.	छेना और छेना उत्पादों आदि सहित दुग्ध उत्पाद	3501
7.	दुग्ध, डेयरी स्प्रेड आदि से प्राप्त मक्खन और अन्य वसा	0405
8.	पनीर और दही	0406
9.	प्याज के मूल्य संवर्धित उत्पाद	0712
10.	मूँगफली का मक्खन	15179020

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

मूल फार्म उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक होने पर भी उपर्युक्त संसाधित और/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक से छूट होगी ।

[फा. सं. 01/91/180/457/ए एम 13/निर्यात प्रकोष्ठ]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2013

No. 31 (RE-2012)/2009-2014

Subject: Exemption to processed and/or value added agricultural products from the application of export restrictions/bans.

S.O. 318(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, as amended from time to time, the Central Government hereby exempts, with immediate effect, the following processed and/or value added agricultural products from any export restrictions/ban :

Sl. No.	Name of Product	Tariff Item HS Code
1.	Wheat or Meslin flour	1101
2.	Cereal flours other than of wheat or meslin (Maize, Oats etc.)	1102
3.	Cereal groats, meal pellets	1103
4.	Cereal grains otherwise worked except rice of heading No. 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground	1104
5.	Other Cereals items	1901 to 1905
6.	Milk productss including casein and casein products etc.	3501
7.	Butter and other fats derived from milk, dairy spread etc.	0405
8.	Cheese and Curd	0406
9.	Value added products of onion	0712
10.	Peanut Butter	15179020

2. Effect of this Notification :

Export of above processed and/or value added agricultural products will be exempted from any restriction/ban even in the event of restriction/ban on the export of basic farm produce.

[F.No. 01/91/180/457/AM 13/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade